कार्यालय उप वन संरक्षक, अजमेर
वन भवन जयपुर रोड़, अजमेर दूरभाष संख्या– 0145 2429796 (ऑफिस)

क्रमांक–एफ14( )एफसीए / उवसं / 2020–21 / 2339 दिनांक :– 17/06/21

निमित्त

अधिशाषी अभियंता,
अजमेर विकास प्राधिकरण,
टोडरमल मार्ग, सिविल लाईन्स,
अजमेर।

विषयः– Diversion of 1.789 hectare forest land for Widening of road snd construction of divider from Sr. school Lohagal to police chowki Shastri Nagar Ajmer, District Ajmer Rajasthan. Forest Diversion proposal under forest (Conservation) Act, 1980.Proposal No FP/RJ/ROAD/42702/2019

संदर्भः– इस कार्यालय का पत्रांक 3118–20 दिनांक 08.06.2021 एवं अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर के पत्रांक 1715 दिनांक 03.06.2021 के क्रम मे।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम मे प्रकरण मे प्रस्तावित प्रत्यावर्तित वन भूमि के बदले गैर वन भूमि का वन विभाग के नाम आरक्षण ग्राम दौलतपुरा, तहसील पीसांगन, जिला अजमेर के खसरा संख्या 326 / 237 क्षेत्रफल 1.789 हैक्टेयर की भूमि का मौका निरीक्षण करने पर संबंधित क्षेत्रीय वन अधिकारी, पुष्कर द्वारा दिनांक 15.06.2021 को कार्यालय मे अघोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित मे अपलोड की गई प्रस्तावित भूमि की केएमएल एवं संबंधित हल्का पटवारी द्वारा मौके पर बताई जा रही आरक्षित भूमि मे विरोधाभास है। अतः आपको सूचित किया जाता है कि आपके प्रस्ताव भाग–1 मे वन विभाग के नाम आरक्षित की गई भूमि की सही केएमएल फाईल मौके पर उपलब्ध आरक्षित भूमि अनुसार ही अपलोड कराया जावे। वर्तमान मे आपके द्वारा ऑनलाईन अपलोड भूमि पहले से ही वन विभाग के वनखण्ड मे ओवरलेप हो रही है। इस संबंध मे आप व्यक्तिगत रूप से संबंधित क्षेत्रीय वन अधिकारी, पुष्कर से सम्पर्क कर मौके अनुसार ही केएमएल फाईल को अपलोड कराने की कार्यवाही आपके स्तर से पूर्ण करावे।

भवदीय,

(सुनील चिद्री)
उप वन संरक्षक
अजमेर

क्रमांकः–एफ14( )एफसीए / उवसं / 2020–21 / दिनांक :–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. मुख्य वन संरक्षक, अजमेर।
2. जिला कलक्टर, अजमेर।
3. क्षेत्रीय वन अधिकारी, पुष्कर को प्रेषित कर लेख है कि अधिशाषी अभियंता, अजमेर विकास प्राधिकरण,अजमेर के द्वारा सम्पर्क किये जाने पर आवश्यक सहयोग प्रदान करते हुए वन विभाग के नाम आरक्षित की गई भूमि के लिए संदर्भित पत्र से चाहे गये उपयोगिता प्रमाण पत्र कार्यालय को मय प्राक्कलन भिजवाया जाना सुनिश्चित करे।

उप वन संरक्षक
अजमेर